न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 27/24

GCMS NO 2024/48

हंसा उर्फ हंसराज पुत्र अर्जुन निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र हरकचंद जैन निवासी 3–घ–17 विज्ञान नगर कोटा
2. कपूर चंद पुत्र हरकचंद जैन निवासी 1/289 आवासन मण्डल सवाई माधोपुर
3. गौतम जैन पुत्र हरकचंद जैन निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. रामप्यारी पुत्री हरकचंद जैन निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. उप पंजीयक सवाई माधोपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध मु0नं0 134/87 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.88 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्माम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री कमलेश कुमार जैन

दिनांक 17.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.88 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पिता हरकचंद पुत्र गुलाब चंद जैन ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं इस्तकरारहक विरूद्व अपीलांट व अपीलांट के पिता एवं भाई मोती के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि ख0न0 1108/2 रकबा 5 विस्वा भूमि दिनांक 27.7.74 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई थी उक्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात रही है। उक्त आराजीयात को वादी सदैव बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जो जमाबंदी खसरा गिरदावरी सम्वत 2041–44 मे दर्ज है। वादी ने उक्त आराजीयात को साजे बांटे पर प्रतिवादी को बताई थी किन्तु अब वादी प्रतिवादीगण को साझे बांटे पर काश्त नही बताना चाहते है। प्रतिवादीगण ने एक नाराजय गिरोह बना रखा है जो वादी के उक्त रकबे का जबरदस्ती लठठ के जोर से छीनना चाहते है। इसी प्रकार से प्रतिवादीगण वादी के साथ झगडा करने के लिए प्रयत्नशील है तथा आराजी ख0न0 1108/2 रकबा 5 बीघा का उपयोग व उपभोग मे अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील है। दिनांक 12.7.86 को वादी उक्त आराजीयात पर सायंकाल काश्त कर रहा था तो प्रतिवादीगण हाथो मे ल[illegible] वादी के खेत पर आ गये व काश्त करने मे अवरोध पैदा करने लगे व [illegible] कहने लगे कि आराजी को लठठ के जोर पर प्रतिवादीगण काश्त करेंगे [illegible] को काश्त नही करने देंगे। इस

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकारी नही है। अतः वादी को अधिकार हासिल है कि वादी की स्वामित्व की आराजीयात की रक्षा के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात मे किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे तथा वादी के उपयोग मे कोई अवरोध उत्पन्न नही करे। अतः घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि आराजी ख0न0 1108/2 रकबा 5 बीघा ग्राम श्यामपुरा मे वादी की एक मात्र स्वामित्व मे किसी प्रकार से न तो अतिक्रमण करे तथा काश्त करने मे बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 हंसा द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको बहस अपील एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पर एक साथ सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.2.88 जल्दबाजी मे कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। केवल मात्र वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को आधार मानकर दस्तावेजी साक्ष्यो पर कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जल्दबाजी मे पारित की गई है जिसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि पत्रावली तहत न्यायालय मे दिनांक 16.1.88 तक साक्ष्य दावा एवं कायमी तनकीयात 16.2.88 नियत की गई। अदालत मातहत द्वारा उसी दिन तनकी वाद पत्र एवं जबाब दावे के आधार पर कायम करनी चाहिए थी। तथा वाद तनकी उभयपक्षो एवं उनके गवाहो की साक्ष्य लेकर प्रकरण को निर्णित करना चाहिए था। लेकिन उन्होने संक्षिप्ततय जल्दबाजी मे उपरोक्त निर्णय व डिक्री जारी कर अपीलांट को पाबन्द कर दिया। तथा आधार माना कि आर्डर 8 रूल 5 सीपीसी के तहत आराजी ख0न0 1108/2 को लेकर कोई डिनायल पेश नही किया जबकि जबाब दावे में अंकित तथ्य वाद पत्र के मद न0 5 ता 10 को स्वीकार किया है तथा रिलीफ मे अपना कब्जा बताते हुए वाद पत्र खारिज करने की इस्तदुआ चाही है। माननीय सुप्रीम न्यायालय की कई नजीरो मे स्पष्ट मत पारित किया है कि वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर यदि जबाब दावे मे अंकित तथ्य अस्वीकार किये जाते है तो तनकीयात कायम कर प्रकरण आयी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की तुलना कर प्रत्येक इश्यू पर पृथक पृथक मत पारित करना चाहिए। जो उन्होने नही किया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय कानून के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आर्डर 8 रूल 5 के विपरीत होने से भी निरस्त योग्य है। साबिक ख0न0 1108/2 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम श्यामपुरा मे स्थित है जिस पर अपीलांट सदैव से काबिज काश्त रहकर लगातार खेती करता चला आ रहा है व अपना परिवार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पालन पोषण करता चला आ रहा है। सरकारी लगान भी अपीलांट जमा कराता है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2043 से अपीलांट की खरीफ की फसल काश्त होना बखूबी साबित है। वादी/रेस्पो0 के पिता हरकचंद गलत तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश किया है। उक्त आराजी पर अपीलांट शुरू से काबिज काश्त है। रेस्पो0 का उक्त आराजी पर कब्जा नही होने से धारा 88 व 188 आर टी एक्ट के तहत वाद पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही वाद वादी खारिज होने योग्य था तथा रेस्पो0 के पिता को बेदखली का दावा लाना चाहिए था जो वह नही लाये है। इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व पारित की है। वर्तमान मे अपीलांट की फसल सरसब्ज खडी है तथा आराजीयात को चारो तरफ से डोल मेड होकर तारफेंसिग ,विधुत कनेक्शन बोर बेल अपीलांट द्वारा कराई गई है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुन पुत्र पन्ना मीना की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके अब एक मात्र पुत्र हंसा अपीलांट है तथा प्रतिवादी संख्या 3 मोती पुत्र अर्जुन लाऔलाद फोत हो चुका है। वाद मे वर्णित आराजीयात पर अपीलांट काफी लम्बे समय से लाभान्वित होता चला आ रहा है। रेस्पो0 का उक्त आराजीयात से कोई संबंध वास्ता नही है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को कोई जानकारी नही थी ना ही अधिनस्थ न्यायालय मे उनके अधिवक्ता ने पैरवी की तथा अपीलांट से यह कह रखा था कि जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी सूचना दे दूंगा। लेकिन अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलांट को नही दी। वैसे भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रारंभ से ही शून्य डिक्री की श्रेणी मे आने से मियाद प्रभावी नही होती है इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय मे चुनौति देकर रद्व कराया जा सकता है। जब अपने अधिवक्ता से आकर अपीलांट मिला तो उन्होने कहॉ कि दिनांक 16.2.88 की आपको अपील करनी चाहिए इस पर दिनांक 18.3.24 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 21.3.24 को नकल निर्णय व डिक्री प्राप्त की जानकारी से अपील अपीलांट पेश की है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.88 मु0न0 134/87 निरस्त फरमाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि आराजी ख0न0 1108/2 रकबा 5 विस्वा भूमि दिनांक 27.7.74 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की गई थी उक्त आराजीयात पर रेस्पो/वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात रही है। उक्त आराजीयात को वादी सदैव बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जो जमाबंदी खसरा गिरदावरी सम्वत 2041-44 मे दर्ज है। रेस्पो0/वादी ने उक्त आराजीयात को साजे बांटे पर अपीलांट/प्रतिवादी को बताई थी किन्तु अपीलांट उक्त साजे बांटे की आड मे उक्त रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात को काश्त नही करने देने एवं रेस्पो0 को जबरन बेदखल करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि वादी/रेस्पो0 को बेदखली का दावा करना चाहिए जबकि बेदखली के वाद विवादित आराजीयात पर कब्जा नही होने पर किया जाता है जबकि विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आराजीयात पर रेस्पो/वादी का कब्जा है जो कि जमाबंदी खसरा गिरदावरी सम्वत 2041–44 से प्रष्ट है। विवादित आराजीयात को रेस्पो/वादी द्वारा अपीलांट को साजे बांटे पर दी गई थी। जससे उस समय भूमि पर उनका कब्जा रहा है। परन्तु रेस्पो/वादी द्वारा सांजे बांटे पर नही दिये जाने के कारण ही वे लोग रेस्पो/वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा होने एवं लठठ के जोर से भूमि से बेदखल करने की कोशिश करने के कारण ही वादी/रेस्पो0 द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात पर रेस्पो/वादी का कब्जा सिद्व होने एवं राजस्व रिकार्ड वादी/रेस्पो0 के नाम दर्ज होने पर ही विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कर विधि के अनुरूप ही अपीलांट/प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 36 वर्ष पश्चात पेश की गई है जिसके बिलम्व के लिए अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अंकित नही किया है केवल मात्र अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नही होने का तथ्य अंकित किया है जबकि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी निर्णय व डिक्री के समय ही हो चुकी थी क्योकि उनके द्वारा वकालतन दावे का जबाब प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य मनगढन्त है। अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 1108/2 रकबा 5 बीघा का आवंटन रेस्पो0 1 ता 4 के पिता हरकचंद पुत्र गुलाबचंद को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.7.74 को किया गया था। जिसका नामा0 संख्या 1362 दिनांक 26.4.86 को गैर खातेदारी से खातेदारी मे स्वीकार हुआ है। विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खतौनी सम्वत 2041 से 2044 मे रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पिता हरकचंद के नाम दर्ज है। इस प्रकार रेस्पो0 विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 36 वर्ष पश्चात पेश की गई है। जिसके बिलम्व के संबंध मे किसी प्रकार का कोई विधिक कारण एवं ठोस साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे की बिलम्व के कारण को डिले कण्डोन किया जा सके। इस प्रकार अपीलांट की अपील मियाद अधिनियम से बाधित होने एवं सारहीन होने खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 134/87 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.2.88 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:41:42 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner